संख्या– /XX–4/2019–4(33)/2013

प्रेषक,

ओमकार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग,
देहरादून।

गृह अनुभाग–4

देहरादून : दिनांक 12 अप्रैल, 2019

विषय– श्री अहमद अली, से0नि0 उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अनु सचिव, उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग के पद पर की गयी पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय आदेश संख्या–9426/उ0मा0अ0आ0/2018, दिनांक 27–04–2018 एवं कार्यालय आदेश संख्या–1010(i)/उ0मा0अ0आ0/2018, दिनांक 12–10–2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री अहमद अली, से0नि0 उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन को उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग में सृजित अनु सचिव के पद पर पुनर्नियुक्ति प्रदान की गयी है।

2– 'मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' की धारा–27(2) राज्य आयोग को राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अधीन रहते हुये ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक स्टाफ नियुक्त करने की अनुमति प्रदान करती है, जिसे वह आवश्यक समझेगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा नियम प्रख्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

3– कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–173/XXX(2)/2013–3(1)2012, दिनांक 20–02–2013 में सेवानिवृत्त कार्मिक की पुनर्नियुक्ति/संविदा पर नियोजन के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान है :–

"सेवानिवृत्त कार्मिक को पुनर्नियुक्ति/संविदा पर नियोजन के प्रस्ताव पर विचार करते समय सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की पूर्व सेवा की स्थिति का भली–भांति परीक्षण करके औचित्य के साथ वित्त विभाग तथा कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त करके मुख्य सचिव एवं मा0 विभागीय मंत्री के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा। मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त होने पर ही नियुक्ति की जायेगी।"

इसी प्रकार वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–41/XXVII(7)50(4)/2017, दिनांक 12–09–2017 में पुनर्नियुक्ति हेतु सेवा की प्रकृति/श्रेणी निम्नवत प्राविधानित की गयी है :–

"विधिक, प्राविधिक, वैज्ञानिक एवं ऐसी प्रकृति के पदों, जिनके लिये विशेष प्रशिक्षण, योग्यता एवं दक्षता की आवश्यकता हो, को छोड़कर सामान्य प्रशासनिक कार्यो, अधिष्ठान से सम्बन्धित कार्यो तथा तथा विभाग की प्रकृति से सम्बन्धित रूटीन कार्यो के सम्पादन के लिये पुनर्नियुक्ति नहीं की जायेगी।

प्रश्नगत पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में शासन से कोई अनुमति/अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। यह भी ध्यातव्य है कि श्री अहमद अली, उत्तराखण्ड शासन में उप सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो कर आयोग में अनु सचिव के पद पर पुनर्नियुक्त हुए है।

4— तदनुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग में श्री अहमद अली की अनुसचिव के पद पर की गयी पुनर्नियुक्ति विद्यमान शासनादेशों के आलोक में नियमसंगत न होने के कारण उनकी उक्त नियुक्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उक्त के साथ ही उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग में इस प्रकार की अन्य नियुक्तियां यदि की गयी है, तो उनके सम्बन्ध में भी उक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या— 232 /XX—4/2019—4(33)/2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव